न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 56/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री अनिल छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ छाबड़ा, मैसर्स बाबा एजेन्सीज C/o गहलोत भवन, मालियान चौपड़, ब्यावर
2. मैसर्स बाबा एजेन्सीज C/o गहलोत भवन, मालियान चौपड़, ब्यावर
3. श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई–344 डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर
4. मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई–344 डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :
1– श्री अखिलेश गर्ग, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) मै0 नेस्ले इण्डिया

–: आदेश :–

दिनांक– 05.02.2020

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड Instant Noodles with Masala taste Maker (Proprietary Food brand Maggi) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2015 को 02.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स बाबा एजेन्सीज C/o गहलोत भवन, मालियान चौपड़, ब्यावर पर पहूँचे श्री अनिल छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ छाबड़ा मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Instant Noodles with Masala taste Maker (Proprietary Food brand Maggi) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान में 280–280 ग्राम के 62 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 24–24 पैक पैकेट Brand Name Maggi के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमे से 8 पैकेट नमूना जॉच हेतु खरीदे एवं राशि रूपये 328/– रूपयें श्री अनिल छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ छाबड़ा को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री अनिल छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ छाबड़ा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा नूडल्स (मैगी) के 280–280 ग्राम के 8 पैक पैकेट में से 2–2 पैकेट धागे से बांधकर चार नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक ए–1072 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/8902 दिनांक 03.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 471/एक्ट/2015/471 दिनांक 23.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala taste Maker (Proprietary Food brand Maggi) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standard & Mis Branded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स बाबा एजेन्सीज C/o गहलोत भवन, मालियान चौपड़, ब्यावर से पत्रांक 255–56 दिनांक 31.07.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा / रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र रजि0 नंबर 08530011901, अनुज्ञा पत्र नं0 12214009001042 एवं क्रय बिल दिनांक 26.05.2015 की छायाप्रति पेश की गई। Nestle India Limited Plot No. E-344 D Road No. 16 V.K.I. Area Jaipur से पत्रांक 181 दिनांक 28.05.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, डायरेक्टर, नोमिनी आई.डी., पार्टनर व वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन की प्रति चाही गई। उन्होने प्रतिउत्तर में नोमिनी फॉर्म नं0 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) Nestle India Limited C/o M/s Laxmi Agencies, E – 168 Road No. 9J VKI Area, Jaipur 302013 का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी / प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी) निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेशक की रिपोर्ट में मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होने के आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनको आरोप मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावे। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 के Regulation 2.4.10 (1), 2.4.10, 3.1.2 प्रस्तुत किये। उन्होने आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेशक ने उनके खाद्य पदार्थ मैगी नूडल्स विद टेस्टमेकर को अवमानक माना है जबकि इन्स्टेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर निजस्वमूलक खाद्य पदार्थ है एवं अवमानक नहीं है। विनियम 2011 के अनुसार इन्स्टेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर के कोई मानक निर्धारित नहीं है। यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.12.1 के अनुसार वह खाद्य जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है, निजस्वमूलक खाद्य है। इन्स्टेण्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर Proprietary Food है जिसके लिये इन विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का आगे कथन है कि खाद्य विश्लेशक ने हमारे उत्पाद इन्स्टेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर को मिसब्राण्डेड उत्पाद मानकर रिपोर्ट दी है जबकि यह तथ्य सही नहीं है। नूडल्स खाद्य उत्पाद विनियम 2011 के विनियम 2.4.10(1) के अनुसार मैदा अथवा सूजी से निर्मित वे पदार्थ होते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा, सूजी, सोया आटा,

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

दूध पाउडर, मसाला, विटामिन मिनरल्स आदि के साथ मिश्रित करके अथवा बिना मिश्रित किये तैयार किये जाते हैं। विनियम 2.4.10 मैकरोनी उत्पादों पर लागू हैं ना कि इन्स्टेण्ट नूडल्स पर। अतः मैगी नूडल्स को विनियम 2.4.10 में वर्णित मानकों के साथ नहीं रखा जा सकता। वाणिज्यिक रूप से भी नूडल्स मैकरोनी उत्पादों से भिन्न है। मैगी नूडल्स पूर्ण रूप से पका हुआ एवं खाद्य तेल में तला हुआ उत्पाद है जो मात्र दो मिनट धीमी आंच पर पकाने मात्र से तैयार हो जाता है जबकि विनियम 2.4.10(1) के अनुसार मैकरोनी उत्पादों में मात्र कच्चा उत्पाद रूप में खाद्य शामिल है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण दिनांक 05.12.1989 के अनुसार आदेश दिनांक 27.11.1989 द्वारा मैकरोनी उत्पादों को इन्स्टेण्ट नूडल्स से अलग रखा गया क्योंकि मैकरोनी उत्पाद कच्ची अवस्था में है जबकि नूडल्स पूर्ण पकी अवस्था में है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आदेश F.No.10/QA/ ENFORCEMENT Issues/FSSAI-2015 दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित मानक मात्र मैकरोनी श्रेणी के खाद्य उत्पादों पर लागू होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अनुज्ञापन, परीक्षण एवं मानकों के विषय में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत एडवायजरी जारी की जाती है। इस सम्बन्ध में मान0 मुम्बई उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 2746/2013 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि FSSAI को धारा 16(1) के अन्तर्गत उन विषयों के सम्बन्ध में जारी करने का अधिकार नहीं है जो धारा 16(2) अथवा अधिनियम के अन्य उपबन्धों से सम्बन्धित हो। उक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। अतः एडवायजरी दिनांक 08.06.2015 इन्स्टेण्ट नूडल्स विद टेस्ट मेकर के सम्बन्ध में शून्य है।

उनका कथन है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में वर्णित अनुसार Instant Noodles with Taste Maker के टेस्टमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नहीं माना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि There is no objection in declaring the net weight on the pack of MAGGI Instant Noodles with Tastemaker, as the sachet of Tastemaker inside the pack of MAGGI Instant Noodles is not meant and / or available for retail sale and hence the separate declaration of net weight on the sachet of Tastemaker is not required under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011. इन्स्टेन्ट नूडल्स विद टेस्टमेकर एक प्रोपराईटरी फूड है एवं इसे पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। टेस्टमेकर में स्थित समस्त अवयवों की जानकारी Instant Noodles with Taste Maker के मूल पैकेट पर उपलब्ध है। मूल पैकेट को हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 0110/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 एवं प्रकरण संख्या 00096/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 तथा प्रकरण संख्या 0090/2018, 0091/2018, 0092/2018 व 0067/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

2.2.1 (1), 2.2.2 (1), (4), (6) एवं (7) का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का कथन है कि खाद्य विश्लेशक की रिपोर्ट अनुसार Caramel Colour के कारण भी मैगी नूडल्स विद टेस्टमेकर को सब स्टैण्डर्ड माना है किन्तु 3.1.2 के अनुसार प्राकृतिक Caramel Colour खाद्य उत्पाद में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.07.2013 को जारी प्रोडक्ट अप्रूवल आदेश में Caramel Colour को अनुमोदित किया गया है। केरेमल कलर के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के उपरांत दिनांक 28.12.2017 को जारी एडवाईजरी में विभाग द्वारा स्वयं परमिटेड किया है। इसके पश्चात दिनांक 08.11.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में भी केरेमल (आई. एन.एस.नं. 150–डी) को 10000 mg/kg तक अनुमोदित किया है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में Caramel Colour के आधार पर खाद्य उत्पाद को सबस्टैण्डर्ड की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं है। खाद्य निर्माता द्वारा खाद्य उत्पाद का निर्माण मई 2015 को किया जाना अवगत कराया है जिसका खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु दिनांक 05.06.2015 को नमूना लिया गया है एवं खाद्य विश्लेशक अजमेर द्वारा दिनांक 08.06.2015 के मापदण्ड अनुसार दिनांक 23.07.2015 को रिपोर्ट जारी की गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेशक द्वारा पश्चातवर्ती मापदण्ड लगा देने से नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जो विधिनुकूल नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.12.2017 से ऐसे प्रकरणों को विड्रो किये जाने बाबत निर्देशित किया है। इस प्रकार केरेमल के आधार पर बनाया गया प्रकरण निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने आगे कथन किया कि उक्त वाद में नमूना संख्या ए–1072 की जांच खाद्य विश्लेशक अजमेर के द्वारा की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(पी) में वर्णित खाद्य प्रयोगशाला की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि – "food laboratory" means any food laboratory or institute established by the Central or State Government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or an equivalent accreditation agency and recognized by the Food Authority under section 43. खाद्य विश्लेषक द्वारा जिस लेबोरेट्री में खाद्य नमूने का विश्लेषण किया गया है, वह मात्र एक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला है जो न तो NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही FSSAI द्वारा अधिसूचित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2011 की जिस एडवाईजरी का उल्लेख अपने कथन में किया है, उसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1688/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 द्वारा त्रुटिपूर्ण माना जाकर खारिज किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.04.2012 अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 की धारा 43 के अन्तर्गत विश्लेषण किये जाने वाले खाद्य नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट पर NABL का लोगो होना अनिवार्य है, जबकि उक्त विश्लेषण रिपोर्ट न तो NABL प्रयोगशाला में तैयार की गई एवं न ही उस पर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

NABL का लोगो है। भारत का राजपत्र में दिनांक 01.04.2015 से 17.08.2018 तक प्रकाशित NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) की सूची एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2012 से 17.08.2018 तक की सूची में उक्त प्रयोगशाला का नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) FAC 294 में स्पष्ट है कि जो प्रयोशालायें NABL अथवा खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा जारी की जाने वाली विश्लेषण रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जायेगा। इसी सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा वाद संख्या 512/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 की ओर आकर्षित किया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि – "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयोगशाला का तात्पर्य ऐसी प्रयोगशाला से है जिसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई हो तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नमूनों का परीक्षण उन्ही प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जायेगा जो प्रयोगशाला अधिनियम की धारा 43 में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के द्वारा प्रत्याहित की गई हों।" अन्त में उन्होने कथन किया कि इस प्रकार अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त खाद्य उत्पाद न तो सबस्टैण्डर्ड है एवं नही मिसब्राण्ड। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैगी नूडल्स की निर्मात्री कम्पनी नेस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक हैं एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल/कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मैगी नूडल्स की जांच FSSAI की एडवाईजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर की गई जो कि खाद्य नमूना लेने की दिनांक के पश्चात जारी की गई है। एडवाईजरी में दिये गये स्टैण्डर्ड के तहत Caramel Colour नहीं होना चाहिये जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 3.1.2 अनुसार केरेमल को परमिटेड किया गया है एवं विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2013 को जारी प्रोडक्ट अप्रूवल में भी उक्त खाद्य उत्पाद को परमिटेड किया गया है। Maggi Instant Noodles with Tastemaker एक Proprietary Food है जिसके विनियम 2011 के नियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये हैं कि Maggi Instant Noodles with Tastemaker एक प्रोपराईटरी फूड नहीं है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मानक निर्धारित किये गये हों। इस प्रकार प्रोपराईटरी फूड जिसका मानक अधिनियम में विहित नहीं है, उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता है। Instant Noodles with Tastemaker एक प्रोपराईटरी फूड है जिसमें टेस्टमेकर को पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है एवं टेस्टमेकर से सम्बन्धित समस्त जानकारी मूल पैकेट पर उपलब्ध है जिसे हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

को नहीं निकाला जा सकता है। मामले में खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1 (1), 2.2.2 (1), (4), (6) एवं (7) को किसी प्रकार से उल्लंघन प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में वर्णितानुसार Instant Noodles with Tastemaker के टेस्टेमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नहीं माना है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी / प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 51, 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णयक अधिकारी

क्रमांक सरिश्ता / अपर / 2020 / 657-60 दिनांक : 7.2.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
2— अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर
3— श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई—344 डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर
4— श्री अनिल छाबड़ा पुत्र स्व0 श्री अमरनाथ छाबड़ा, मैसर्स बाबा एजेन्सीज C/o गहलोत भवन, मालियान चौपड़, ब्यावर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2020.02.19 11:04:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: